प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 29 मार्च, 2019

विषयः-कारागार मुख्यालय, परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना के संचालन हेतु मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8631/आधु-2/ई-प्रिजन/2019, दिनांक-26.03.2019 के सन्दर्भ में कारागार मुख्यालय, परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना के संचालन हेतु मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु रू0 181.00 लाख (रूपया एक करोड़ इक्यासी लाख मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग विषयक शासनादेश संख्या-130(1)/22-4-18-48(30)/14, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (प्रति संलग्न) द्वारा की गयी है।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में उल्लिखित ई-प्रिजन कार्ययोजना को और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित मैनपावर की व्यवस्था यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 (यूपी डेस्को) के माध्यम से कराये जाने एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर के क्रय की व्यवस्था जैम पोर्टल से किये जाने हेतु रू0 1,81,00,000/- (रूपया एक करोड़ इक्यासी लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कार्य मद	अनुमोदित लागत
1	कार्य योजना के संचालन हेतु मैनपावर की व्यवस्था	98.88
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था	82.12
	योग-	181.00

(1) सरकारी विभागों में विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर के कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1703/78-2-2-2017/1235, दिनांक 01.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेग।

(2) कम्प्यूटर एवं उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(4) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0ए0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-17-ई प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर क्रय" के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2019/284/22-4-2019, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in